अपने ही अफसर व साथियों को मार डाला था

छुट्टी नहीं मिली तो चार जवानों की हत्या, हाईकोर्ट ने कहा- उम्रकैद सही

भास्कर न्यूज | बिलासपुर

माओवादी क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे सीआरपीएफ जवान को छुट्टी नहीं मिली तो उसने गुस्से में आकर अपने ही अफसर और साथियों को गोलियों से भून दिया। चार जवानों की हत्या के इस सनसनीखेज मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि तनावपूर्ण माहौल या छुट्टी न मिलना, किसी जवान को हत्या का लाइसेंस नहीं देता। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई उम्रकैद की सजा को सही मानते हुए जवान संतराम की अपील खारिज कर दी। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने साफ कहा कि सशस्त्र बलों के जवानों को खास प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वे दबाव, तनाव और मुश्किल हालात में भी संयम बनाए रखें। कोर्ट ने कहा कि बिना छुट्टी या अफसर से नाराजगी का मतलब ये नहीं कि जवान अपनी रायफल से साथियों को ही निशाना बनाए। हाईकोर्ट ने कहा- अनुशासनहीनता की कोई छूट नहीं दी जा सकती।

माओवादी हमला नहीं, निजी रंजिश थी वजह

कोर्ट ने कहा कि अगर हमला माओवादियों ने किया होता, तो उसके सबूत मिलते। लेकिन न तो प्रशासन को कोई सूचना दी गई और न ही मुठभेड़ के कोई संकेत मिले। घायल जवानों और चश्मदीदों की गवाही से साफ हुआ कि आरोपी की नाराजगी अफसर और सहकर्मियों से थी।